न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2013 निगरानी

राव यादवेन्द्र सिंह नाबालिग पुत्र व संरक्षक रामचंदन सिंह पुत्र राव बुध्द सिंह, निवासी ग्राम मौबई बुजुर्ग तहसील सेवढ़ा, जिला दतिया मध्यप्रदेश ।

------- प्रार्थी

विरुध्द

१- राव कोक सिंह तनय राव बुध्द सिंह, निवासी ग्राम मौबई बुजुर्ग, तहसील सेवढ़ा जिला दतिया -म०प्र० ।

२- राव बुध्द सिंह पुत्र राव सलक सिंह, निवासी ग्राम मुौबई बुजुर्ग तहसील सेवढ़ा, जिला दतिया-मध्यप्रदेश ।

------ प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुध्द आदेश एस०डी०ओ० महोदय दिनांक ३-४-१३ अन्तर्गत धारा ५०-मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९, प्र०क्र०१६।१२-१३ अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

१- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एंव कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय का आदेश, आदेश की परिभाषा में नहीं आता है, क्योंकि वह स्वयं बोलता हुआ आदेश नहीं है ।

४- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय के समक्ष प्रस्तुत अपील सरासर अवधि

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–1650–दो / 2013 जिला–दतिया

राव यादवेन्द्र सिंह नाबलिग संरक्षक रामचंदन विरूद्ध राव कोक सिंह व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17–06–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी दतिया, जिला–दतिया के प्रकरण क्रमांक 16 / 2012–13 / अपील में पारित आदेश दिनांक 04–04–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर दतिया, जिला–दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 07–08–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 17/6/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	